भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 782

जिसका उत्तर 24.07.2025 को दिया जाना है

पालक्काड़-कोझिकोड राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना

782. श्री वी. के. श्रीकंदन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुआवजा वितरण में देरी से उन लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है जिनकी भूमि पालक्काड़-कोझिकोड राष्ट्रीय ग्रीनफील्ड राजमार्ग परियोजना के लिए अधिगृहीत की गई थी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सैंकड़ों लोग दो वर्षों से भी अधिक समय से अपने मुआवजे की प्रतीक्षा कर रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान अपने घरों को खोने वाले कुछ भू-स्वामी इस अत्यधिक विलंब की समस्या का समाधान करने के लिए पहले ही न्यायालय जा चुके हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त परियोजना के लिए जिन भू-स्वामियों की भूमि अधिगृहीत की गई थी, उन्हें मुआवजे के वितरण में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) कोझिकोड और पालक्काड़ के बीच ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जा चुकी है। परियोजना भूमि अधिग्रहण के चरण पर है और राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3(जी) के तहत सौंपने की घोषणा हो गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 के विभिन्न खंडों, जैसा भी लागू हो, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन के उपरांत मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

*****